

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या - 03/2023-24

कि गई कार्रवाई

तिथि

आदेश

21/6/23

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी मानगो के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं:-

1. विक्रेता/दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता/दाता और क्रेता/ग्रहिता दोनों ही पिछड़ी जाति के सदस्य हैं। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. ग्रहिता/ क्रेता एवं दाता/विक्रेता दोनों ही एक ही जिला के निवासी हैं, जिस जिला के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (ख) के अन्तर्गत विक्रेता/दाता :- 1) चारुवाला महतो, पति-स्व० नारायण महतो, 2) प्रहलाद महतो, पिता- स्व० नारायण महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-भागाबाँध, थाना-एम०जी०एम०, अंचल-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम, को मूल्य -12,50,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता/ग्रहिता :- तिलेश्वर महतो, पिता-स्व० गोकुल चन्द्र महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-धनिया, थाना-एम०जी०एम०, अंचल-मानगो जिला- पूर्वी सिंहभूम के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
भागाबाँध	1209	58	572	0.02ए०
			573	0.0419ए०
			कुल-	0.0619ए०
				या 6.19डी०

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

21/6/23

भूमि सुधार उप समाहर्ता
धालभूम, जमशेदपुर।